

दिनांक-18.08.2026 को अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना की अध्यक्षता में विभिन्न प्रक्षेत्रों के कार्यों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही।

समीक्षा बैठक मुख्यालय स्तर के पदाधिकारियों की उपस्थिति में आहूत की गयी, जिसमें सम्बंधित क्षेत्रीय पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। बैठक के प्रारम्भ में दिनांक-21.07.2026 को सम्पन्न पूर्ववर्ती समीक्षा बैठक (पत्रांक-1/PMC/बैठक/131/2024-621) में निर्गत निर्देशों के अनुपालन की कंडिकावार समीक्षा की गयी। तदुपरांत केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO), समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र (FMISC) द्वारा क्रमवार प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतीकरण पर सम्यक् विमर्श एवं समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश निर्गत किये गये :-

2. निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना द्वारा वाल्मी, पटना अवस्थित प्रयोगशाला को सुव्यवस्थित करने संबंधी पूर्ववर्ती निर्देश (कंडिका-5) के आलोक में प्रतिवेदित किया गया कि वाल्मी, पटना परिसर अवस्थित मृदा प्रयोगशाला कृषि-मृदा के रासायनिक परीक्षण से संबंधित है तथा प्रयोगशाला में मौजूद उपकरण/रसायन आदि उपयोग के योग्य नहीं हैं। साथ ही, उक्त प्रयोगशाला असैनिक प्रशिक्षु अभियंताओं के कार्यों से संबंधित जाँच, यथा मृदा का OMC/MDD परीक्षण, Void Test तथा निर्माण सामग्रियों यथा सीमेंट/कंक्रीट/बालू/ईट आदि के परीक्षण हेतु उपयुक्त नहीं है। उक्त प्रयोगशाला को असैनिक प्रशिक्षु अभियंताओं के कार्यों से संबंधित उपर्युक्त परीक्षणों हेतु उपयोगी बनाने के लिए पुराने उपकरणों/रसायनों के स्थान पर आवश्यक नये उपकरणों/रसायनों आदि क्रय/संस्थापित किये जाने की आवश्यकता है। तदालोक में अभियंता प्रमुख, मुख्यालय द्वारा शोध भवन, खगौल कार्यालय से समन्वय कर आवश्यक योग्य उपकरणों/रसायनों आदि की प्रचलित दर के आधार पर प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करने हेतु निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना को निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना)

3. निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना द्वारा संज्ञान में लाया गया कि वाल्मी, पटना परिसर के दीधा-एम्स एक्सप्रेस वे से सटे भाग में चहारदीवारी का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उक्त के आलोक में अभियंता प्रमुख, मुख्यालय द्वारा दीधा-एम्स एक्सप्रेस वे से सटे भाग में RCC चहारदीवारी निर्माण कार्य के क्रियान्वयन के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना)

4. निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से वाल्मी, पटना द्वारा वर्ष 2026-27 में दिनांक 15.08.2026 तक आयोजित/संपन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण प्रदर्शित किया गया है। उक्त के आलोक में अभियंता प्रमुख, मुख्यालय द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु मार्च 2027 तक का वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Calendar) तैयार कर समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त निदेश आगामी वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से अनुपालनार्थ प्रभावी होगा।

(कार्रवाई- निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना)

5. वाल्मी, पटना द्वारा संज्ञान में लाया गया कि वाल्मी, पटना परिसर में DAV School तथा बैंक ऑफ बड़ौदा संचालित हैं, जिनसे वर्तमान में किराया प्राप्त नहीं हो रहा है। तदालोक में, अभियंता प्रमुख, मुख्यालय द्वारा नियमानुसार किराया निर्धारित करते हुए देय किराये की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना)

6. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसान भवन, शोध भवन तथा केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण पटना में Solar Panel अधिष्ठापित नहीं हैं, जिसके कारण विद्युत विपत्रों के भुगतान में अपेक्षाकृत अधिक राशि व्यय हो रही है। तदालोक में, अभियंता प्रमुख, मुख्यालय द्वारा उक्त भवनों में Solar Panel अधिष्ठापन हेतु समीक्षा कर आवश्यकतानुसार On-Grid Solar Panel अधिष्ठापन करने तथा यदि पूर्व से Solar Panel अधिष्ठापित हो तो On-Grid करने हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- निदेशक (मुख्य अभियंता), वाल्मी, पटना/

अधीक्षण अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण अंचल, खगौल, पटना/

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना)

7. बैठक में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बागमती नदी पर ढेंग एवं कटौझा के समीप बराज निर्माण कार्य की समीक्षा के क्रम में अवगत कराया गया कि DPR तैयार करने हेतु नियुक्त परामर्शी WAPCOS द्वारा अब तक DPR समर्पित नहीं किया गया है। तदनुसार, अभियंता प्रमुख, मुख्यालय द्वारा निम्नांकित निदेश दिए गए:

- (i) निर्धारित अवधि के उपरांत भी DPR समर्पित नहीं किए जाने के संबंध में परामर्शी WAPCOS को कारण-पृच्छा नोटिस निर्गत करते हुए एक सप्ताह के भीतर पूर्ण DPR समर्पित करने हेतु निदेशित किया जाए।
- (ii) संबंधित परामर्शी, जिनसे PPR/DPR तैयार कराया जाता है, से इस आशय का विधिवत प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाए कि PPR/DPR के सभी संबद्ध तकनीकी प्रावधान CWC के प्रचलित Guidelines/मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। उक्त निदेश सभी PPR/DPR के मामलों में, जहाँ लागू हो, अनिवार्य रूप से अनुपालनार्थ प्रभावी होगा।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना)

8. समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन के कार्यालय के सुदृढीकरण के संबंध में अभियंता प्रमुख, मुख्यालय द्वारा संबंधित मुख्य अभियंता को कार्यालय के सुदृढीकरण हेतु समुचित प्रस्ताव समर्पित करने के लिए निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना)

9. केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण के लिए विकसित किये जा रहे Portal की समीक्षा के क्रम में अभियंता प्रमुख, मुख्यालय द्वारा केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण तथा गणितीय प्रतिमान केंद्र से संबंधित कार्यों के समावेशन, आवश्यक समन्वय एवं कार्यात्मक आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु दोनों कार्यालयों से दो-दो सहायक अभियंताओं को नामित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण/

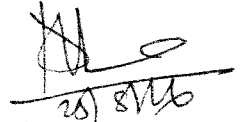
निदेशक, गणितीय प्रतिमान केंद्र, अनिसाबाद, पटना)

10. मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन, शोध एवं गुण नियंत्रण द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय स्तर पर NOC से संबंधित कई प्रस्ताव लंबित हैं। तदनुसार, अभियंता प्रमुख, मुख्यालय द्वारा निदेश दिया गया कि क्षेत्रीय स्तर पर लंबित NOC संबंधी प्रस्तावों को अविलंब प्राप्त कर नियमानुसार निष्पादित किया जाए।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना)

11. उपर्युक्त समस्त निदेशों का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन (Action Taken Report), इस कार्यवाही के निर्गमन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर निश्चित रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक-1/PMC/बैठक/131/2024 725

पटना, दिनांक-25/8/24

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकन, शोध एवं गुण नियंत्रण, अनिसाबाद, पटना/ मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, अनिसाबाद, पटना/ निदेशक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना/ निदेशक, गणितीय प्रतिमान केंद्र, अनिसाबाद, पटना को आवश्यक कार्रवाई एवं अनुपालन प्रतिवेदन समर्पण हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पटना, दिनांक-25/8/24

पत्रांक-1/PMC/बैठक/131/2024 725

प्रतिलिपि :-मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पटना, दिनांक-25/8/24

पत्रांक-1/PMC/बैठक/131/2024 725

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पटना, दिनांक-25/8/24

पत्रांक-1/PMC/बैठक/131/2024 725

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय